रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249416 CG-DL-E-13102023-249416

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4326]

No. 4326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रलाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2023.

का.आ. 4497(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध, अर्थात:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73;
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा 80, धारा 82 और धारा 83

तमिलनाडु राज्य के नीलिगरी जिले में, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य के उक्त जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे।

> [फा. सं. एस-38013 / 16 / 2023-एसएस-I] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

6529 GI/2023 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O.4497(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely —

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V;
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI

shall come into force in all the areas of Nilgiris district, in addition to the already notified areas in the said district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/16/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser